U.N.I. F.N.P.O. I.N.T.U.C

ना पहाड़ों से डरते, ना तूफानों से डगमगाते हैं, जो तूफानों से टकराते हैं
और डाक कर्मचारियों के दुःखों को दूर करने के लिए लड़ते हैं उसे
FNPO-NUPE Postmen & Group-D/MTS Union कहते हैं।।

POSTAL PRAKASH

सी.एच.क्यू., दलवी सदन, खुर्शीद स्क्वायर, सिविल लाईंस, दिल्ली-110054

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 50/- Single Copy Rs. 5/-

Editor : T.N. RAHATE Vol. No. XXIX - No. 4 APRIL, 2013

HINDI ISSUE

Contents

Page 1
जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट

Page 3
कुछ आदेशों के हिन्दी अनुवाद

Page 6
Minutes of the JCM (DC) Meeting held on 18-12-2012

Page 13
एन.यू.पी.ई. पोस्टमैन और ग्रुप डी/MTS यूनियन ज्यादा-से-ज्यादा नए सदस्य बनाने का कष्ट करें

Page 16
Clarification regarding option for Alteration/Withdrawal or Inclusion of New Members

CHQ Quota

All the Divisional Secretaries / Branch Secretaries are requested to send CHQ Quota of **Rs. 9/- (Rs. Nine)** each member per month with effect from August 2012 to **Shri Jagdish Sharma, Treasurer (CHQ), Camp : I.P.H.O., New Delhi-110002.** M.: 09911 226062/ 09899 608399 / 08595 045985 as early as possible.

जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट

1 फरवरी 2013 एवं 2 फरवरी 2013 तक मुंबई में रहा। 3 फरवरी 2013 से 6 फरवरी 2013 तक हरियाणा सर्कल में रहा। 3 फरवरी 2013 को हरियाणा सर्कल NUPE P-IV के अध्यक्ष के सुपुत्र की शादी वल्लभगढ़ में संपन्न हुई उसमें अतिथि के तौर पर उपस्थित था। इस सुनहरे मौके पर हमारे साथ NUPE P-IV सर्कल सचिव श्री जयपाल सिंह, CHQ खंजाजी श्री जगदीश शर्मा, CHQ ऑफिस सेक्रेटरी दिल्ली ऑफिस श्री वी.के. माथुर उपस्थित थे।

4 फरवरी 2013 को डाक भवन जाकर सेक्रेटरी (P) श्रीमती पी. गोपीनाथ से मिलकर उनको Secretary (P) के पद पर नियुक्ति होने पर NUPE P-IV एवं FNPO की ओर से बधाई तथा शुभकामनाएं दीं। मेंबर (O) श्री कमलेश्वर प्रसादजी से मिलकर उनको भी मेंबर (O) के पद ग्रहण पर शुभेच्छा एवं शुभकामनाएं दीं। पश्चात पोस्टमैन को पत्र वितरण के लिए साईकिल देने के प्रपोजल पर चर्चा की। इसमें खास तौर पर पोस्टमैन ड्यूटी पूरी करने के बाद साईकिल रखने की समस्या, ड्यूटी करते समय साईकिल पार्क करने के बाद पत्र वितरण के दौरान यदि साईकिल चोरी होती है तो कौन जिम्मेदार होगा, साईकिल चलाते समय दुर्घटना होने पर साईकिल तथा पोस्टमैन का बीमा कराना, वितरण ऑफिस से नजदीक रहनेवाले पोस्टमैन को इच्छानुसार साईकिल घर पर ले जाने का परमिशन, ड्यूटी पश्चात साईकिल की चाबी का हस्तांतरण किसको किया जाना चाहिए, GDS को भी साईकिल पत्र वितरण के

Journal of The National Union of Postal Employees, Postmen and Group 'D'/MTS
P&T Colony, Civil Lines, New Delhi-110054. **Tel.:** 23818330 • **Email :** tnrahate@yahoo.com
Shri T.N. Rahate (General Secretary) **M.:** 08080070500, 09869121277
Shri Sube Singh (Dy. General Secretary) **M.:** 09013281724
Web : www.nupepostmen.org • www.nupepostmenp4.blogspot.com

लिए मिलना, साईकिल मेंटेंस (दुरुस्ती खर्चा), साईकिल भत्ता इसमें बढ़ोत्तरी करना, आदि बातों पर चर्चा करके निर्णय होने पर हर बात की पूरी जानकारी पोस्टमास्टर/सब-पोस्टमास्टर को देना और इसके आदेश निकालने से पहले संगठन के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर चर्चा की जाये और साईकिल खरीदने के आर्डर देने से पहले Secretary (P), Member (O), CGM (MB), IFA आदि अधिकारियों के साथ सभा (मीटिंग) आयोजन किया जाये। मेंबर (O) ने सूचित किया है कि इन समस्याओं का हल निकालने के लिए चर्चा जरूर होगी, मगर चूंकि मैंने अभी-अभी चार्ज लिया है, CGM (MB) एक सप्ताह अवकाश पर हैं इसलिए कुछ समय रुकना जरूरी है मगर इसका हल जरूर निकाला जायेगा। श्रीमती कावेरी बैनर्जी, मेंबर (Tech) इनको नया पद ग्रहण करने पर बधाई दी। कुछ बातों पर चर्चा जरूर हुई। उन्होंने संगठनों से सहयोग मिलने की उम्मीद जताई। हमने उनको FNPO/NUPE P-IV की ओर से पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया। अन्य डायरेक्टरर्स और अधिकारियों से मिलकर समस्याओं के बारे में चर्चा की।

5 फरवरी 2013 को FNPO (CHQ) के खंजाजी श्री ब्रिजमोहनजी की पुत्री की शादी तथा हमारे FNPO के पुराने साथी श्री सुभाष चौधरी के लड़के की शादी के मौके पर उपस्थित रहकर उनको बधाई दीं। 6 फरवरी 2013 की रोज फिर एक बार डाक भवन जाकर कुछ समस्याओं पर चर्चा की।

7 फरवरी 2013 की रोज चंदीगढ़ जाकर 20-21 फरवरी 2013 की हड़ताल के बारे में FNPO कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की व उनको संबोधित किया।

8-9 फरवरी 2013 को हरियाणा सर्कल में रोहतक में NUPE P-III, P-IV की संयुक्त CWC में उपस्थित रहकर उपस्थितों को संबोधित किया।

11 फरवरी 2013 से 13 फरवरी 2013 तक मुंबई में रहा। 14 फरवरी 2013 को हैदराबाद शहर (आंध्र प्रदेश) में सेंट्रल JCA की मीटिंग रखी गयी थी उसमें उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और श्री किशनराव, जनरल सेक्रेटरी, NUPE P-IV इनके लड़के की शादी में उपस्थित रहकर उन्हें बधाई दी।

15 फरवरी 2013 से 27 फरवरी 2013 तक मुंबई में रहा। मुंबई में रहते हुए 20-21 फरवरी 2013 की दो दिन की हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी सर्कल सचिव एवं कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहा और सभी ने वादे के मुताबिक हड़ताल को सफल बनाया, उनको CHQ तथा FNPO की ओर से धन्यवाद देता हूं।

28 फरवरी 2013 को CHQ ऑफिस बेरर के निवृत्ति समारोह (on superannuation), जबलपुर, मध्य प्रदेश सर्कल में उपस्थित रहकर उनको अभी तक की सेवा, संगठन को योगदान पर धन्यवाद देते हुए उनको निवृत्ति पश्चात लंबी उमर, स्वास्थ्य आदि प्रदान करने की परमेश्वर से प्रार्थना की तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

आपका साथी
(टी.एन. रहाटे)
जनरल सेक्रेटरी, NUPE P-IV

सी.एच.क्यू कोटा

सभी डिवीजनल सेक्रेटरी / ब्राँच सेक्रेटरी से अनुरोध किया जाता है CHQ कोटा **रुपये 9/- (नौ रुपये)** प्रति मेंबर प्रतिमाह भेजें। यह चंदा दर अगस्त 2012 से लागू है। CHQ कोटा **श्री जगदीश शर्मा, खंजाजी (CHQ), कैंप : आई.पी.एच.ओ. नयी दिल्ली-110002, मो.:** 09911 226062 / 09899 608399/08595 045985 को जल्द-से-जल्द से भेजें।

कुछ आदेशों के हिन्दी अनुवाद

(DG P&T No. SPB 11/3/1951 dt. 3-5-1961)

•• डीजी पी एंड टी क्र. 201/43/76-अनुशासन 11 दिनांक 15-7-1976 द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यदि प्राधिकारी यह पाता है कि कर्मचारी का स्थानांतरण उस पद से दूसरे पद पर करने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो वह कर्मचारी को निलंबन में रखने से पहले उसके कारणों को रिकार्ड करेंगे। साथ ही उसी पत्र में देखा गया है कि निलंबन की समीक्षा करते समय कर्मचारी को उसके पद से अन्य जगह स्थानांतरित करके उसे अपनी सेवा शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।

• निलंबन की अवधि के दौरान कर्मचारी को कार्यालय आने तथा प्रतिदिन कार्य अवधि में उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश देना अवैध है।

(DOPT & Trg. OM No. 11012/7/91-Estt (A) dt. 19-5-1993)

•• एक आरोप पत्र दिये जाने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही करे बिना कोई भी कर्मचारी केवल प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों पर दंडित नहीं किया जाएगा।

• सेवा निवृत्ति के बाद कार्यवाही शुरू की जा सकती है : केवल राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ, केवल 4 वर्ष के भीतर होनेवाली घटना के संबंध में।

• ओ.एम. नं. 11012/4/2003- स्थापना (ए) दिनांक 7-1-2004 के अनुसार यदि एक वर्ष के भीतर कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो निलंबन स्वत: रद्द हो जाएगा। हालांकि यदि 180 दिनों के भीतर निलंबन रद्द नहीं होता है और कोई आरोप पत्र जारी नहीं होता है तो इस संबंध में ए.एस. कृष्णमाचारी वि. भारतीय संघ 1993 बेंगलूरू में कैट के निर्णय के साथ दृण है जिसमें 6 माह के बाद भी कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया था। निलंबन के आदेश को निरस्त कर दिया गया। अत: इस मामले में कैट में आवेदन किया जा सकता है।

• निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से 90 दिन के बाद निलंबन का विस्तार नहीं करेगा। समिति द्वारा भी एक समय में 180 दिनों से आगे निलंबन की सिफारिश नहीं करनी चाहिए।

(Rule 10(5) of CCS (CCA) Rules)

•• जहां एक निलंबित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही मामूली दंड के अधिरोपण के साथ समाप्त हो जाए। निलंबन के कार्यकाल को एफ.आर. 54 बी के तहत पूर्णत: अनुचित कहा जा सकता है। इसलिए संबंधित कर्मचारी को निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए। डी.ओ.पी.टी. ओ.एम. नं. 11012/15/85-स्थापना (ए) दिनांक 3-12-1985 इस बात की पुष्टि करता है कि यदि मामूली सजा सुनाई गई है तो निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन एवं भत्ता स्वीकार्य है।

• दंडित करने वाले सक्षम प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी कर्मचारी को निलंबित नहीं कर सकता। वह सक्षम प्राधिकारी से संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की वांछनीयता की अनुशंसा कर सकता है। साथ ही निलंबन का प्रश्न सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय के लिए छोड़ा जाएगा।

(DG P&T No. 6/641/64-DISC dt. 27-1-65)

•• डी.ओ.पी.टी. आदेश दिनांक 20-10-99 के अनुसार यदि एक सरकारी कर्मचारी जांच की लंबित अवधि के दौरान मृत हो जाता है जहां उसके खिलाफ आरोप सिद्ध न हुए हों, दंड का आरोपण उचित नहीं है। इसलिए कर्मचारी का परिवार पूरी तरह से सभी पैंशन/सेवानिवृत्ति के लाभ लेने का हकदार है। एफ.आर. 54 बी (2) एवं 3 इस स्थिति की पुष्टि करता है।

- पी एंड टी मैन्यूअल 3 के नियम 52 के तहत यह तय करने में कि सीसीएस (सीसीए) नियमावली 1965 लागू होगी या नहीं, समय व क्षमता जिससे कार्य किया गया का कोई अर्थ नहीं है। जैसा कि जी.डी.एस. के रूप में किये कार्यों के लिए भी कर्मचारी पर कार्यवाही की जा सकती है।
- यदि यह पाया जाता है कि एक सरकारी सेवक भर्ती नियमों के आधार पर योग्य नहीं था अथवा उसने झूठी जानकारी / प्रमाणपत्र लगाया है तो उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। नियम 14 के अंतर्गत जांच की जा सकती है व सिद्ध होने पर उसे सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य दंड नहीं दिया जाना चाहिए।

(MF OM No. 19050/8/76-IV (B) dated 21-2-1977)

•• एक सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी सेवा के 20 वर्ष पूर्ण होने पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। उसे तीन माह पूर्व आवेदन देना चाहिए।

- प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांत -
  i. बिना सुने किसी को भी दोषी नहीं बनाया जाएगा।
  ii. कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होगा।
  iii. न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि यह दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है।

अनुशासन

- (1) संविधान के अनुच्छेद 311 (1) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी का अधीनस्थ कोई भी एक कर्मचारी को सेवा से बरखास्त या हटा नहीं सकता।
  (2) अनुच्छेद 311 (2) सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है कि उन्हें सेवा से बरखास्त/डिसमिस/पदावनत नहीं किया जा सकता है सिवाय एक जांच के बाद जिसमें उसके खिलाफ आरोपों के संबंध में सूचित किया गया हो एवं उसे आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका मिला हो।
- निलंबन सेवा से एक अस्थायी विरक्ति देना है। हालांकि निलंबन एक सजा नहीं है, यह प्रभावित कर्मचारी के लिए स्थाई क्षति का कारण बनता है एवं इसका कलंक आसानी से नहीं धोया जाता है।
- एक चूक/अपराध के लिए दो दंड लगाए जा सकते हैं किंतु दो में से एक लापरवाही के कारण सरकार को हुई हानि की वेतन से वसूली होना चाहिए।
  (पोस्टल मैन्यूअल वॉल्यूम 111 का पैरा 108 से)
- निंदा एक अच्छे व पर्याप्त कारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के बाद लगाया गया संवैधानिक दंड है। एक लिखित चेतावनी कर्मचारी को उसकी भूल/त्रुटियों हेतु प्रशासनिक फटकार लगाने का एक जरिया है।
- लघु दंडात्मक कार्यवाहियों को सेवानिवृत्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाना चाहिए अन्यथा उन्हें समाप्त माना जाएगा। बड़ी दंड कार्यवाहियां सीसीएस (पेंशन) नियम 9 के अनुरूप जारी रखी जाएंगी।
- अनुशासनिक प्राधिकारी को यह शक्ति प्राप्त है कि वह आरोपी के आरंभिक लिखित बयान की अवस्था में उन आरोपों को संशोधित अथवा समाप्त कर सकता है। हालांकि जब किसी मामले की जांज सीवीसी के परामर्श पर सीबीआई द्वारा शुरू की गई हो तब सरकारी आदेश सीवीसी/सीबीआई की सलाह की मांग करते हैं।

- सेवा निवृत्त अधिकारियों को आई.ओ. के रूप में नियुक्त किया जा सकता है तथा वह ए.जी.एस. के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि केवल एक सरकारी कर्मचारी अथवा कानून पेशाधारी को ही पी.ओ. के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- आई.ओ. की नियुक्ति के बाद किसी भी स्तर पर पूर्वाग्रह लाया जा सकता है किंतु वह जांच पूर्ण होने से पहले आना चाहिए। यदि पूर्वाग्रह का रवैया प्रगट रूप से पता चलता है तो इसके तुरंत बाद पूर्वाग्रह को स्थानांतरित करना बेहतर है।
- नियम 14 के अंतर्गत बिना शर्त आरोप को स्वीकारना आत्मघाती होगा। पांच मुख्य दंड में से एक प्रमुख दंड देने के लिए एक बड़ी दंड कार्यवाही शुस की जाती है। ऐसी स्थिति में प्राधिकारी ऐसा एक दंड देने हेतु स्वतंत्र होता है एवं अपील किये जाने पर अथवा संशोधन चरणों में यह कमजोर करना मुश्किल हो सकता है। इसका एकमात्र लाभ यह है कि जांच कार्यवाही में जाने से छुटकारा मिलता है। यहां प्रतियोगिता करना बेहतर होगा ना कि अनिश्चित दया का इंतजार करना जो बहुत कम होती है।
- नियम 16-1 'ए' में यह निर्धारित है कि निम्न परिस्थितियों में नियम 14 के अंतर्गत एक कार्यवाही होनी चाहिए -
  (1) तीन साल से अधिक के लिए वेतन वृद्धि पर रोक।
  (2) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि पर रोक एवं पेंशन को प्रभावित करना।
  (3) जब अनुशासनिक अधिकारी ऐसी जांच फरमे का फैसला लेता है।
- (1) आदेश प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर सक्षम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की जा सकती है। एक पुनरीक्षण याचिका वर्णित को पुनरीक्षण प्राधिकारी जो सीसीएस (सीसीए) नियमावली के नियम 29 के तहत आदेश प्राप्ति के 60 दिन के भीतर किसी भी समय परंतु अपीलीय अधिकारी को दी गई अपील के निपटान के बाद दी जा सकती है किंतु अपील की समयावधि (45 दिवस) के बाद यदि अपील न की गई हो।
  (2) राष्ट्रपति के पास संशोधन और समीक्षा दोनों की शक्ति है। 1981 में लागू हुए नए नियमों के अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी भी समय किसी भी सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत जारी किए गए आदेशों की समीक्षा की शक्ति है जब कोई सामग्री या सबूत उपलब्ध हो जो पहले प्रस्तुत न किया जा सका हो एवं जिससे आदेश के बदलने का प्रभाव हो।

  116. यदि किसी मामले में स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी गवाह हो तब वह अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है एवं ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा एक तदर्थ अनुशासनिक प्राधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।

(MHA OM No. 142/2/83-Adv I dt. 6-4-1983)

- महिला कर्मचारियों पर यौन उत्पीड़न के मामलों में जिसमें कोई भी अप्रिय यौन व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शामिल है, जैसे -
  (1) शारीरिक संपर्क या शुरुआत, यौन संबंधी मांग या अनुरोध, यौन संबंधित टिप्पणी, अश्लील साहित्य दिखाना या कोई अन्य अप्रिय शारीरिक, यौन प्रकृति के मौखिक/अमौखिक आचरण।
  (2) यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों के पास अपराधी या स्वयं के स्थानांतरण का विकल्प होना चाहिए। शिकायत समिति की रिपोर्ट को सीसीएस (सीसीए) नियमावली के तहत एक जांच रिपोर्ट समझा जाएगा। अनुशासनिक प्राधिकारी रिपोर्ट पर नियमानुसार कार्य करेगा।
- पेनाल्टी आदेश को पूर्वलक्षित प्रभाव से जारी नहीं किया जा सकता है, ऐसे आदेश केवल भावी प्रभाव वाले हो सकते हैं। यह आदेश या तो जारी होने की तिथि से अथवा संचारित होने की तिथि से लागू किये जा सकते हैं।

Minutes of the JCM (DC) Meeting held on 18-12-2012

Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
(SR Section)

Dak Bhawan, Sansad Marg
New Delhi-110001

No. 6-03/2012-SR

Dated the 3rd January, 2013

Sub : Minutes of the meeting of JCM Standing Committee held under the Chairpersonship of Member (P) on 18-12-2012

Please find enclosed minutes of the above meeting held on 18-12-2012.

2. It is requested to take necessary follow-up action urgently under intimation to SR Section.

Encl: As Above

Sd/-
(Arun Malik)
Director (SR)

To

Official Side

1. CGM (BD&M)/CGM (MB&O)/CGM (PLI)/DDG (Estates)/DDG (PO&CP)/DDG (Estt.)/ DDG (P.)/DDG (Vig.)/DDG (PAF)/Dir. (FA)/Dir. (Staff)/Smt. V.C. Kajla, Consultant

Staff Side

1. Shri D. Theagarajan, Secretary General, Federation of National Postal Organisation
2. Shri M. Krishnan, Secretary General, National Federation of Postal Employees
3. Shri Giri Raj Singh, General Secretary, AI RMS & MMS EU Group 'C'
4. Shri Ishwar Singh Dabas, General Secretary, AIPEU, Postmen & Group 'D'/MTS
5. Shri T.N. Rahate, General Secretary, NUPE Postmen & Group 'D'/MTS
6. Shri P. Suresh, General Secretary, AIRMS & MMS Employees Union, MG and Group 'D'/MTS
7. Shri T. Satyanarayan, General Secretary AIPAEA (NFPE)

Copy for information: - (i) Sr. PPS to Secretary (Posts).
(ii) PPS/PS to all Members of Postal Service Board

Department of Posts
(SR & Legal Cell)

MINUTES OF THE JCM STANDING COMMITTEE MEETING TO DISCUSS PENDING SUBJECTS

The meeting of the JCM Standing Committee was held on 18/12/2012 at 1500 hrs. in Dak Bhavan, under the chairpersonship of Member (P). The following were present:-

Official Side:-

1. Ms. Yasodhara Memon, Member (P) - Chairperson
2. Shri S.K. Sinha, CGM (MB&O)
3. Ms. Kalpana Tiwari, CGM(BD&MD)
4. Sh. Tilak De, DDG (Estates)
5. Ms. Aindri Anurag, DDG(PO & CP)
6. Sh. Alok Saxena, DDG (Establishment)
7. Ms. Anju Nigam, DDG (Vigilance)
8. Sh. Manish Sinha, DDG(PAF)
9. Sh. A.K. Poddar, GM, PLI
10. Sh. Satish Kumar, Director (FA)
11. Sh. Raj Kumar, Director (Staff)
12. Sh. Arun Malik, Director (SR)
13. Sh. V.C. Kajla, Consultant

Staff Side:

1. Shri D. Theagarajan
2. Shri M. Krishnan
3. Shri Giri Raj Singh
4. Shri Ishwar Singh Dabas
5. Shri T.N. Rahate
6. Shri P. Suresh
7. Shri T. Satyanarayana

The Chairperson welcomed all the members and permitted to take up the agenda. After detailed discussions on each item, the following decisions were taken:-

Sl. No.	Pending JCM (DC) Subjects	Decision taken	Action, if any, to be taken by
1.	**Cadre Restructuring for all Non-Gazetted Group B & C cadres**	It was informed that the report of the committee is under consideration. Proposal will be formulated by the Department. However, one round of talks with the JCM members will be held before the proposal is firmed up.	DDG(Estt)
2.	**Creation of System Administrators Cadre.**	It was informed that the report of the committee is under consideration.	DDG (Estt)

		Proposal will be formulated by the Department. However, one round of talks with the JCM members will be held before the proposal is firmed up.	
3. 3 (1) to (15)	**Computation of proper norms for work allotment to existing System Administrators and grant of certain essential amenities.**	Discussed. It was decided to drop this item.	Item closed.
4.	**Counting of Special Allowance for pay fixation case of PO & RMS Accountants.**	The proposal is under consideration of DOPT.	DDG(Estt)
5.	**Request for discontinuance of the practice of obtaining fidelity / security bond from the employees handling cash.**	Secretary (Posts) ordered that the security bonds may be continued for the time being?	Item closed.
6.	**Protection of pay of the defunct scale of PO & RMS Accountants who opted for general line under Directorate letter No. 2-22/88 - PE I dt. 01.12.92.**	**The issue was examined in consultation with IFW and it was revealed that even in the case of Shri Natha Singh, the clarification was not implemented. The issue of Shri Natha Singh has since been referred to Punjab Circle and further action in the matter will be taken on receipt of compliance from Punjab Circle on the observations raised by them.**	DDG (Estt)
7.	**Revision of Cash Allowance to the SPMs handling cash in the absence of treasurer.**	The proposal has been referred to DOPT and Department of Expenditure.	DDG(Estt)
8.	**Anomaly in fixation of Pay in respect of the officials promoted on 01.01.96 under BCR Scheme.**	The proposal has been rejected by DOPT.	Item closed.
9.	**Conveyance of cash with police escort- Problems there on.**	(a) Revision of line limits is being looked after by a committee of officers whose recommendations are awaited. (b) Circle Heads have already been addressed to explore the possibilities of providing security guards in the Post Offices in sensitive areas and take appropriate action.	DDG(PO&CP) Item closed.
10.	**Ensuring the standard of residential accommodation to**	It was informed providing of post attached quarters to Postmaster or Sub	Item closed.

	the SPMs provided with attached Quarters.	Postmaster of a post office is a service condition due to the necessity of ensuring continuous delivery of mail irrespective of external or physical conditions, security of cash and valuables kept in the treasury etc. Heads of Circles are empowered to decide about de-quarterization.	
11.	**Fixing Norms/ Time Factors to Postal Stores Depot; Circle Stamp Depot & creation of establishment.**	It was explained that the committee is re-examining the matter.	DDG (Estates & MM)
12.	**Payment of Special Allowance to the staff working on MPCMs.**	Directorate has already notified position to all Heads of Circles that the re-introduction of MPCM allowance is not possible in view of the grant of higher pay scale of Rs.4,000 - 6000/- as per the 5th CPC.	Item closed.
13.	**Stop harassing staff on contributory factors for simple and flimsy reasons by misusing the provision of 'unbecoming of Government Servant' deviating the ruling contained in Volume III, FHB etc.**	It was made clear to the Staff side in the meetings on 10/12/1/2012 that it would not be possible to issue any speaking order as each case needs to be decided on its merits and further that the channels of appeal, petition and review petition are also available to the official concerned.	Item closed.
14.	**Recovery of alleged over-payment of pay and allowances to postman on account of fixation from the officials of Accounts branches of HPOs**	It was informed that based on the judgement of CAT, speaking order has been issued and there is no change in the stand taken by the Department.	Item closed.
15.	**DRAWAL OF PAY TO SENIOR BCR OFFICIALS IN HSG I POSTS AS THE PAY SCALES OF HSG II & BCR IS ONE AND THE SAME & SETTLEMENT OF EARLIER OFFICIATING CASES OF TAMILNADU, WEST BENGAL & OTHER CIRCLES AS ONE TIME MEASURE**	Clarification has already been issued to all concerned.	Item closed.
16.	**Tenure posting of officials in Single & Double Handed post offices - request to withdraw the conditions**	Orders have already been issued vide No.8-4/2005-Inv. dated 12/01/2012.	Item closed.

17.	**Restriction in posting of SPM due to minor penalties / CR entries.**	Action has already been taken.	Item closed.
18.	**Allowing to appear in the Departmental Exam like IPOs-case of physically handicapped officials**	It was informed that the matter is under consideration in consultation with Ministry of Social Justice, the nodal ministry of notification of identification of posts for persons with disabilities.	DDG(P)
19.	**Enhancement of Split Duty Allowance.**	Action has already been taken.	Item closed.
20.	**Transfer of all HSG I Posts to General line**	The proposal has been taken up with UPSC.	DDG(P)
21.	**Payment of honorarium to supervisors & Staff of Divisional offices for processing of PLI and RPLI proposals.**	It was informed that the case for removal of ceiling of Rs.4,000/- cannot be agreed as it is within the purview of DOPT and Department of Expenditure. The proposal of giving incentive may be taken up by the Staff side with PLI Directorate afresh.	Item closed.
22.	**Grant of OTA/Excess Duty Allowance to the SPMs working in single/Double handed Post offices.**	Some quarries have been received from DOPT. The matter is being taken up again with them.	DDG(Estt)
23.	**Counting the training period for benefits of promotion under TBOP / BCR scheme**	Department of Legal Affairs has sought some clarifications. After obtaining the information from the Circles the case will be examined in consultation with Department of Legal Affairs.	DDG(P)
24.	**Holding of examination for filling up to posts of AMM in MMS**	The matter is being examined.	DDG(P)
25.	**Holding of DPC for filling up the posts of Deputy Manager MMS**	DPC will be convened to fill up the posts.	DDG(P)
26.	**Appointment to the grade of Supdt. Stg. In RMS**	It was informed that posts will be located/ identified in consultation with Circles and will be filled after completing the procedural formalities.	DDG(P)
27.	**Acute shortage of 'C' Bags.**	The proposal of procuring canvass bags will be examined subject to availability of funds.	DDG(Estates & MM)

28.	**Implementation of re-commendation of the 5th CPC with regard to payment of cash handling allowance to treasurers and Asst. Teasurers in Post offices.**	It was informed that the proposal will be sent again to the Ministry of Finance for consideration.	DDG (Estt)
29.	**Allot 19% Group B vacancies for General line and permit all Group C official in Postal, RMS, Admn. and Postal A/Cs with minimum 20 years of service to appear in the exam by dispensing with present reservation of posts to RMS & Admn. Staff.**	Elaborate proposal will be submitted by the Staff side to Director (SR). The same will be examined by the DDG(Estt) and DDG(P).	DDG (Estt)/ DDG (P) / Director (SR)
30.	**Anomaly in the preparation of PA gradation list. Date of confirmation should not be taken now and date of appointment be taken for construing seniority. Fixing seniority based on the date of confirmation in un-constitutional and discriminatory and dropping of confirmation examination.**	It was explained that the proposal is specific to Tamil Nadu Circle. They has already been addressed.	Item closed.
31.	**Relaxation of educational qualification in respect of widow applicant for compassionate appointment.**	Clarification received from the DOPT has already been circulated vide **No.37-34/2009-SPB-I/C dated 19/04/2012.**	Item closed.
32.	**Request for correct identification of Speed Post Hubs.**	It was decided that joint visit (MM and Staff side) will be made to arrive at confirmation of mail at Kurnool and Guntakul for deciding L1 / L2 issue.	CGM (MB) and Staff Side.
33.	**Request to extend the Station Tenure to Senior Manager Cadre in MMS.**	Department has already issued Rotational Transfer Guidelines vide letter No.141-91/2012-SPB-II dated 02/04/ 2012 (Copy enclosed), which also cover MMS cadre. On the basis of these guidelines, necessary information from all the Circles will be called for shortly and further action will be taken in consultation with MV Branch of the Department.	DDG(P)

34.	**Pay protection to employees who seek transfer to a lower post under FR 15 (a)/transfer under Rule 38.**	The proposal will be taken up by the Staff side directly with DDG(PAF).	Item closed.
35.	**To fill up the time scale Driver Post at MMS.**	The position was explained to the JCM Members.	Item closed.
36.	**Construction of Departmental Buildings for Postal Accounts Offices at Hyderabad, Trivandrum and Patna.**	It was informed that the proposal will be considered for construction during the 12th Plan period subject to availability of funds and approval of Expenditure Finance Committee.	DDG (Estates & MM)
37.	**Problems arisen subsequent on Centralization of Tax related work at HO in SB Branch.**	It was informed that e-filing is to be done by DDOs as per existing IT rules.	Item closed.
38.	**Posting of in charge of BPC**	Guidelines have been issued to all Heads of Circles vide this office O.M. No.16-10/2011-BD&MD dated 28/06/2012. Copy enclosed.	Item closed.
39.	**Irregularities in the accounting procedure in Post Offices - case of Delhi Circle.**	The Head of the Circle is aware of this fact and on CPMG's direction approximately vouchers of more than 1.75 crores have been sanctioned. All Units have been directed by the Circle to take necessary action to liquidate this amount at the earliest. A weekly monitoring is being done for liquidation of pending amount by the Circle.	Item closed.
40.	**Removal of age limit for appearing in IPO exam.**	Discussed and not agreed.	Item closed.
41.	**Providing Security to cash overseers.**	(a) Revision of lane limits is being looked after by a committee of officers whose recommendations are awaited. (b) Circle Heads have already been addressed to explore the possibilities of providing security guards in the Post Offices in sensitive areas and take appropriate action.	Since the item is same as Item No.9, this item, i.e. Item No.41 is closed.
42.	**Weight and size limit of express post parcels delivery of by Postmen.**	Instructions on the subject have been reiterated to all the Head of Circles vide letter No. 14-06/2010-BD&MD dated 25/04/2012.	Item closed.

एन.यू.पी.ई. पोस्टमैन और ग्रुप डी/MTS यूनियन ज्यादा-से-ज्यादा नए सदस्य बनाने का कष्ट करें

सर्कल/संभागीय एवं शाखा सचिवों से निवेदन है कि NUPE Group D/MTS संघ के नए सदस्य बनाने का कष्ट करें। नए सदस्य बनाने के लिए 30 अप्रैल 2013 से पहले नए सदस्यों की सूची **डी.डी.ओ.** के पास जमा करायें। इस सर्कुलर के साथ डिकलेरेशन फॉर्म संलग्न हैं। सभी संभागीय एवं शाखा सचिवों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा नए सदस्यों को बनाने का कष्ट करें।

NUPE Postmen & Group 'D'/MTS Union should make efforts to increase the members

Circle/Divisional and Branch Secretary of NUPE Group D/MTS Union are requested to make efforts and increase the membership of NUPE Group D/MTS Union. A list of new members willing to join the Union should be submitted to DDO before 30th April 2013. A Declaration form is enclosed alongwith the circular. All the Divisional and Branch Secretaries are requested to increase the membership of the Union.

30 अप्रैल 2013 से पहले नये सदस्यों को जोड़ें

प्रिय साथियों, आपकी जानकारी के लिए यह स्पष्टीकरण आदेश भेज रहे हैं। आप 30 अप्रैल 2013 से पहले नए सदस्यों को जोड़ सकते हैं। इसके संबंध में **डिक्लेरेशन फार्म** भेज रहे हैं। सभी शाखा/संभागीय सचिवों से निवेदन करें नए भर्ती हुए Postman और MTS और अन्य यूनियन के सदस्यों को और जो अभी तक किसी भी यूनियन के सदस्य नहीं हैं तो आप हमारे यूनियन के सदस्य बनाने के लिए कोशिश करें। 30 अप्रैल 2013 तक डी.डी.ओ. और एस.एस.पी. को फार्म जमा कर सकते हैं। नए सदस्यों के वेतन से मई माह से चंदे की रिकवरी शुरू हो जायेगी।

New Member to be included before 30th April

Dear Friends, this clarification order is being given for your information. Declaration forms are being given so that you can you can make new members till 30th April. Request all the Branch/Divisional Secretaries to increase the membership and include all newly recruited Postman and MTS, members of other Union willing to join our Union and those employees who are not members of any Union to become member of our Union. You can submit the form till 30th April 2013 to DDO and SSP. The recovery from salary will start from May 2013 onwards.

Annexure-II

No.13/01/2010-SR
Ministry of Communications IT.
Department of Posts
SR Section

Name of the Office.....

LETTER OF AUTHORISATION

To

.....

.....

Designation of D.D. O s

I..... (Name & Designation) being a member of **NATIONAL UNION OF POSTAL EMPLOYEES POSTMEN & GR-D/MTS** (Name of Service Association) hereby authorise deduction of monthly subscription of Rs.30/ per month from my salary starting from the month of May 2013 payable on 31.05.2013 and authorise its payment to the above mentioned Service Association.

I hereby certify that I have not submitted Authorisation in favour of any other service Association. If the above information is found incorrect, I fully understand that my authorisation for the Association becomes invalid.

Signature .....

Station:- Name .....

Date:- Designation .....

.....

To be filled by the Association

It is certified that Shri/Smt .....is a member of **NATIONAL UNION OF POSTAL EMPLOYEES POSTMEN & GR-D/MTS** (Name of the Service Association)

It is further certified that the above authorisation has been signed by Shri/Smt .....in my presence

Signature.....

Name (in Capital).....

Of authorised office bearer.....

Signature

Name (in capital) Of the member

Annexure-II

डाक विभाग
एसआर अनुभाग

कार्यालय का नाम .....

<u>प्राधिकार पत्र</u>

सेवा में,

.....

.....

डिवीजनल प्रमुख का पदनाम

मैं ..... (नाम एवं पदनाम) नैशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्पलॉईज, पोस्टमैन एंड ग्रुप डी/MTS(सर्विस एसोसिएशन का नाम) का/की सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा अपने तनख्वाह से 31-5-2013 को देय मई, 2013 से मासिक अभिदान के रूप में 30/- रुपये (तीस रुपये) प्रतिमाह की कटौती प्राधिकृत करता/करती हूं तथा उपरोक्त सेवा एसोसिएशन को इसके भुगतान का प्राधिकार करता / करती हूं।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता / करती हूं कि मैंने किसी अन्य एसोसिएशन के पक्ष में प्राधिकार प्रस्तुत नहीं किया है। यदि उपरोक्त सूचना असत्य पाई जाती है तो मुझे यह पूरा ज्ञान है कि एसोसिएशन हेतु मेरा प्राधिकार अमान्य हो जाएगा।

हस्ताक्षर .....

स्थान:- नाम .....

दिनांक:- पदनाम .....

.....

<u>एसोसिएशन द्वारा भरे जाने के लिए</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती ..... (पोस्टमैन एंड MTS एसोसिएशन का नाम) (नैशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्पलॉईज, पोस्टमैन एंड ग्रुप डी/MTS के / की सदस्य हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राधिकार पत्र पर श्री/श्रीमती ..... द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं।

हस्ताक्षर .....

प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

हस्ताक्षर

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

डिवीजनल प्रमुख का सत्यापन

RNI No. 57368/94 **No. DL (N) / 066/ 2012-14**
Date of Publication :- 24 of every month **APRIL, 2013**

Clarification regarding option for Alteration/Withdrawal or Inclusion of New Members

Subject : Clarification regarding given option for alteration/withdrawal or inclusion of new membership of Service Associations/Unions in the month of April each year to be made effective from the month of July of that year.

I am directed to refer to the Department's letter No. 13-1/93-SR dated 25-2-1994 circulating Department of Personnel & Training OM No. 2/10/80-JCA dated 31-1-1994 regarding procedure for verification of membership of associations for the purpose of recognition under CCS (RSA) Rules, 1993. In accordance with instructions contained in said OM, option, if any, for alteration, withdrawal or inclusion of new members is to be given in the month of April each year to DDO or any other designated Authority.

2. The Department, vide letter No. 13/01/2010-SR dated 18-2-2010, modified 'letter of authorisation' prescribed by the DOPT specifically in order to comply with the directions of the Hon'ble Court of Madras given in Writ Petitions No. 4704-4707 of 1999 and Contempt Petition No. 950/09. The modified 'letter of authorisaton' was endorsed with signature of Director (SR & Legal) with an objective to rule out the possibility of using the old forms bearing the signature of the employees, as some of the associations had complained about it. The signature of Director (SR & Legal) has no relevance in regard to letters of authorisation which may be used for change of option or for seeking new membership in the month of April every year.

3. All the 'letter of authorisation' whether bearing Director (SR & Legal)'s signature or not, applied during the month of April may be considered as per the standing instructions and in view of the clarification in the preceding paragraph.

(DG (P) Letter No. 18/03/2011-SR Dated : 28-07-2011)

Owner, Publisher, Printer and Editor T.N. Rahate, P&T Colony, Civil Lines, New Delhi-110054
Printed at Vandana Print & Co. 633/634, Daryaganj, Ganj Mirkhan, Delhi-110002